dsUnzh; vkS|ksfxd lqj{kk cy
lwpuk
dkaLVscy eSa vkj{kd@vfXu ¼iq:"k½ dh HkrhZ&2021

vkWuykbZu vkosnu i=ksa dks tek djus dh rkjh[k % 29@01@2022 ls 04@03@2022
vafre rkjh[k % 04-03-2022 ¼lk;a 5%00 cts rd½

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पे **ysoy&3] ¼21]700 ls 69]100@&½** में तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य तथा अनुमेय भत्तों सहित, **vkj{kd@vfXu** के निम्नलिखित अस्थाई पदों को भरने के लिए **Hkkjrh; iq:"k** नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति होने पर वे केऔसुब अधिनियम और नियम के साथ–साथ केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली तथा बल के अन्य सदस्यों के लिए समय–समय पर लागू अन्य अधिनियमों और नियमों द्वारा अधिशासित होंगे। नियुक्ति होने पर वे, 01 जनवरी, 2004 को अथवा बाद में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नामक परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली के अनुसार पेंशन के लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड, के अंतर्गत लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

1.1 आवेदन पत्रों को केवल **^^vkWuykbu**** माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

1.2 **'kkjhfjd n{krk ijh{k.k ¼ihbZVh½@'kkjhfjd ekud ijh{k.k ¼ih,lVh½@vks,evkj@dEI;wVj vk/kkfjr ijh{kk ¼lhchVh½ eksM ds varxZr fyf[kr ijh{kk] nLrkost lR;kiu ¼Mhoh½] foLr`r fpfdRlk ijh{k.k ¼Mh,ebZ½@iqufoZyksdu fpfdRlk ijh{k.k ¼vkj,ebZ½ ij fu/kkZfjr vkj vk;kftr fd;k tk,xkA**

1.3 ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के अंतर्गत लिखित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में होगी।

1.4 ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के अंतर्गत लिखित परीक्षा और पीईटी/पीएसटी के पूर्ण होने के पश्चात्, लिखित परीक्षा में और प्रत्येक राज्य और/संघ शासित प्रदेश को आबंटित रिक्तियों और लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के संबंध में राज्यवार और श्रेणीवार वरीयता सूची अलग से तैयार की जाएगी।

1.5 विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार रिक्तियों को भरा जाएगा। इसके अलावा, आतंकवाद/नक्सल प्रभावित जिलों के लिए चिन्हित रिक्तियां केवल उन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

1.6 आतंकवाद/नक्सलवाद से प्रभावित जिलो की सूची **vuqyXud&IX** पर उपलब्ध है।

1.7 केवल वे अभ्यर्थी जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्ति के अनुसार चयन सूची में स्थान प्राप्त कर लेते हैं उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा।

1.8 मूल प्रतियों से अपेक्षित पात्रता प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन (डीवी) विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) से पहले किया जाएगा।

1.9 चयनित किए गए अभ्यार्थियों का चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यू.ओ. संख्या ए–VI-I/2014 भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाईल संख्या ई.–32012–एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1–2020 (पार्ट फाईल)/1166 दिनांक 31.05.2021 और सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित, द्वारा जारी एआर और सीएपीएफ में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा परीक्षण भर्ती के लिए समरूप दिशा–निर्देशों के अनुसरण में आयोजित किया जाएगा।

1.10 सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाईन माध्यम से सीआईएसएफ की वेबसाइट https://cisfrectt.in पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रकिया पर अपडेट के लिए और परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से वेबसाईट विजिट करने की सलाह दी जाती है।

2. **osrueku %** पे–लेवल–3 (21,700–69,100 रू.)

3. **jk"Vªh;rk@ukxfjdrk %** अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

4. **fjfDr;k¡ %&fjfDr;k¡ dk fooj.k fuEukuqlkj g%&**

dz-l-	jkT;@la?k 'kkflr izns'k	{ks=	vukjf{kr	bZMCY;w,l	v-tk-	v-t-tk-	v-fi-o-	dqy
1	अंडमान एवं निकोबार	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
2	आंध्रप्रदेश	संपूर्ण राज्य	11	3	5	2	7	**28**
		नक्सल क्षेत्र	21	5	8	3	14	**51**
3	अरूणाचल प्रदेश	संपूर्ण राज्य	3	0	0	6	0	**9**
4	असम	संपूर्ण राज्य	45	11	7	12	28	**103**
5	बिहार	संपूर्ण राज्य	27	6	9	0	16	**58**
		नक्सल क्षेत्र	30	6	10	1	18	**65**
6	चंडीगढ़	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	**1**
7	छतीसगढ़	संपूर्ण राज्य	6	1	2	4	1	**14**
		नक्सल क्षेत्र	10	3	3	8	2	**26**
8	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
9	दिल्ली	संपूर्ण राज्य	4	1	1	2	2	**10**
10	गोवा	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	**1**
11	गुजरात	संपूर्ण राज्य	14	4	2	5	9	**34**
12	हरियाणा	संपूर्ण राज्य	6	1	3	0	4	**14**
13	हिमाचल प्रदेश	संपूर्ण राज्य	2	0	1	0	1	**4**
14	जम्मू एवं कश्मीर	संपूर्ण राज्य	18	4	3	5	11	**41**
15	झारखंड	संपूर्ण राज्य	7	2	2	5	2	**18**
		नक्सल क्षेत्र	28	7	8	18	8	**69**
16	कर्नाटक	संपूर्ण राज्य	14	3	6	2	9	**34**
17	केरल	संपूर्ण राज्य	10	2	2	0	5	**19**
		नक्सल क्षेत्र	11	2	2	0	6	**21**
18	लद्दाख	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	**1**
19	लक्षद्वीप	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
20	मध्य प्रदेश	संपूर्ण राज्य	17	4	6	8	6	**41**
		नक्सल क्षेत्र	4	1	1	2	1	**9**
21	महाराष्ट्र	संपूर्ण राज्य	28	6	6	6	17	**63**
		संपूर्ण राज्य	3	1	1	0	2	**7**
22	मणिपुर	संपूर्ण राज्य	4	1	0	5	1	**11**
23	मेघालय	संपूर्ण राज्य	4	1	0	6	0	**13**
24	मिजोरम	संपूर्ण राज्य	2	1	0	2	0	**5**
25	नागालैंड	संपूर्ण राज्य	3	1	0	3	0	**7**
26	ओडीशा	संपूर्ण राज्य	10	2	4	5	3	**24**
		नक्सल क्षेत्र	14	3	5	8	4	**34**
27	पुडुचेरी	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	**1**
28	पंजाब	संपूर्ण राज्य	6	2	5	0	3	**16**
29	राजस्थान	संपूर्ण राज्य	16	4	6	5	8	**39**
30	सिक्किम	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
31	तमिलनाडु	संपूर्ण राज्य	18	4	8	0	11	**41**
32	तेलंगाना	संपूर्ण राज्य	8	2	3	2	5	**20**
		नक्सल क्षेत्र	4	1	1	1	3	**10**
33	त्रिपुरा	संपूर्ण राज्य	5	1	3	6	0	**15**
34	उत्तर प्रदेश	संपूर्ण राज्य	46	11	24	1	30	**112**
35	उत्तराखंड	संपूर्ण राज्य	3	1	1	0	1	**6**
36	पश्चिम बंगाल	संपूर्ण राज्य	21	5	12	2	11	**51**
		नक्सल क्षेत्र	2	0	1	0	0	**3**
		dqy	**489**	**113**	**161**	**137**	**249**	**1149**

¼laf{kIrk{kj % ;wvkj & vukjf{kr] bZMCY;w,l & vkfFkZd :Ik ls detksj oxZ] ,llh & vuqlwfpr tkfr] ,lVh & vuqlwfpr tutkfr] vkschlh & vfr fiNM+k oxZ½

4.1 रिक्तियां अस्थायी है' और प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया में किसी भी समय बढ़ अथवा घट सकती हैं। रिक्तियों की संख्या में कोई भी परिवर्तन सीआईएसएफ की वेबसाईट www.cisfrectt.in पर सूचित किया जाएगा।

4.2 10 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए आरक्षित हैं। यदि उपयुक्त ईएसएएम अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो ईएसएम के लिए आरक्षित रिक्तियां संबंधित श्रेणियों के गैर ईएसएम अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

4.3 चूँकि रिक्तियां राज्यों/संघशासित प्रदेशों को आबंटित की गई है, अतएव अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के समय उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाए गए राज्य/संघ शासित प्रदेश का 'अधिवासी/स्थायी आवास प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, ऐसा न किए जाने पर उनकी पात्रता रद् कर दी जाएगी और अभ्यर्थी को विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा। यदि एक अभ्यर्थी इस आवेदन पत्र में उल्लिखित राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य के द्वारा जारी अधिवासी/स्थायी आवास प्रमाण–पत्र (पीआरसी) प्रस्तुत करता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन के समय राज्य में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र को बहुत ही सावधानी से भरना चाहिए।

4.4 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारत मे कहीं भी सेवा करनी होगी।

4.5 अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण उपलब्ध है।

5. ik=rk ekunM

5.1 **'k{kf.kd vgZrk** – अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले **foKku fo"k; ds lkFk** एक मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

5.2 **vk;q lhek** ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि **¼vFkkZr 04-03-2022½** को 18 से 23 वर्ष। अभ्यर्थी का जन्म **05-03-1999** से पहले और **04-03-2004** के बाद नहीं होना चाहिए।

5.2.1 विभिन्न श्रेणियों के लिए उपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार है :–

d-l-	**J.kh**	**mijh vk;q lhek dks cpkus vuqer vk;q NwV**
i)	अ.जा./अ.ज.जा. (एससी/एसटी)	5 वर्ष
ii)	अ.पि.व. (ओबीसी)	3 वर्ष
iii)	भूतपूर्व सैनिक	गणना की तिथि अर्थात् ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा में से घटाने के पश्चात 3 वर्ष।
iv)	1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रित और बच्चे।	अनारक्षित – 5 वर्ष अ.पि.व. – 8 वर्ष अ.जा/अ.ज.जा – 10 वर्ष

5.3 **'kkjhfjd ekud** : पद के लिए शारीरिक मानक निम्नानुसार हैं :–

a) कद – 170 सेमी।

b) सीना – 80–85 सेमी (5 सेमी का न्यूनतम फुलाव)

5.3.1 अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए शारीरिक मानकों में अनुमत छूट निम्नानुसार हैः–

क.सं.	**fuEufyf[kr grq NwV**	**dn**	**lhuk**
i)	गढ़वाल, कुमाउं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर की कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी।	165 सेमी.	78–83 सेमी (05 सेमी के न्यूनतम फुलाव)
	**दार्जिलिंग जिले के तीन उप प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिमपोंग और कुर्सीयोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित ''मौउज़ा'' उप प्रभाग शामिल हैं:– (1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारू (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग–1 (10) पंतापति जंगल–1 (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट–2 (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक पहाड़ी जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा पेंगा (18) नाईपेनिया।		
ii)	मिजो और नागा सहित ट्राइबल अथवा आदिवासी से संबंधित अभ्यर्थी।	162.5 सेमी.	77–82 सेमी (05 सेमी के न्यूनतम फुलाव)

5.4 **Hkkj &** चिकित्सा मानकों के अनुसार कद तथा आयु के समानुपात। वज़न को भौतिक मापन के समय रिकार्ड किया जाएगा परंतु वज़न के आधार पर फिटनेस का निर्णय चिकित्सीय परीक्षण के समय किया जाएगा।

5.5 **fpfdRlk ekud &** चयनित किए गए अभ्यर्थियों के शारीरिक एवं चिकित्सीय सौष्ठव की जांच का चिकित्सीय परीक्षण एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अभ्यार्थियों का चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यू.ओ. संख्या ए–VI-I/2014 भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाईल संख्या ई.–32012–एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1–2020 (पार्ट फाईल)/1166 दिनांक 31.05.2021 और समय समय पर यथा संशोधित द्वारा जारी एआर और सीएपीएफ में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा परीक्षण की भर्ती के लिए समरूप दिशा–निर्देशों के अनुसरण में आयोजित किया जाएगा।

5.5.1 **VVl** टैटू की अनुमेयता को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं:–

क) **lkexh** : एक धर्म निरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना है और इस प्रकार, धार्मिक चिह्न या आंकड़े और नाम को दर्शाने वाले चिह्न, भारतीय सेना में पालन किए जाने के अनुसार, अनुमत होंगे।

ख) **LFkku** : शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे कि अग्रभुजाओं के अंदरूनी हिस्सों पर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाईं भुजा के अग्रभाग, गैर सलामी अंग या हाथों के डोरसम पर होने की अनुमति है।

ग) **vkdkj** : शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) से 1/4 से कम होना चाहिए।

ukV&A वे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन प्रपत्र के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं को प्राप्त नहीं किया होगा वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है।

ukV&AA अभ्यर्थियों को यह नोट करना चाहिए कि केवल मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण–पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि और नाम को ही आयु और नाम निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा। जन्म तिथि अथवा नाम में किसी परिवर्तन के लिए किसी तदनुरूपी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ukV&AAA भूतपूर्व सैनिक अपने पुनः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण के लाभों को लेने के पश्चात नियमित आधार पर सरकार के तहत सिविल साइड में पहले ही रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे ईएसएम श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट के पात्र नहीं हैं। तथापि, वे तदनुरूपी नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं यदि नागरिक नियोजन में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात उन्होंने संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उन्होंने डीओपीटी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014–स्थापना (रेस) दिनांक 14.08.2014 में यथाउल्लिखित प्रारंभिक सिविल नियोजन में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन पत्रों के दिनांकवार विवरण के बारे में स्वघोषणा/वचनबद्धता प्रदान की हो।

ukV&IV भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों/पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट/आरक्षण देय नहीं है। इसलिए, ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

व्याख्या – I **cPpk ls rkRi;Z** – पुत्र (गोद लिए गए पुत्र सहित) अथवा पुत्री (गोद ली गई पुत्री सहित)।

व्याख्या – II **ifjokj ds vkfJr lnL;ksa ls rkRi;Z &** पति अथवा पत्नी अथवा अविवाहित पीड़ित के मामले में बच्चे अथवा भाई अथवा बहन जो उस पीड़ित पर दंगों में मारे जाने के समय पूर्णतया आश्रित थे वे पात्र होंगे। इस श्रेणी में उपरी आयु में छूट के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को संबंधित जिला आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट जहां पीड़ित व्यक्ति मारा गया था, से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.6 **^^HkwriwoZ lSfud** ls rkRi;Z mlO;fDr ls g\(**

(i) 'जिसने भारतीय संघ की नियमित थलसेना, नौ सेना तथा वायु सेना के किसी भी रैंक (चाहे वर्दीधारी अथवा गैर वर्दीधारी) में सेवा की हो।

(a) जो उक्त सेवा से पेंशन प्राप्त होने पर नियोक्ता द्वारा या स्व अनुरोध पर ऐसी सेवा से कार्यभार मुक्त अथवा डिस्चार्ज कर दिया गया हो, अथवा

(b) जो रक्षा सेवा पर आरोपणीय चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों के कारण सेवा मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेन्शन दी गई हों, अथवा

(c) जो स्थापना में कमी होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किये गए हो।

(ii) जो ऐसी सेवा से नियुक्ति की एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद उनके स्वयं के अनुरोध करने के सिवाय ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों और उनको उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक नामतः निरन्तर सेवा वाले अथवा अनिरंतर अर्हक सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं।

(iii) ''सेना डाक सेवा'' के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा रक्षा सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से सेवामुक्त हुए हों अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हो के कारण तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो।

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 माह से अधिक की अवधि के लिए ''सेना डाक सेवा'' में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों।

(v) ''क्षेत्रीय सेना'' कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता।

(vi) चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए अथवा सेवामुक्त तथा चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्राप्त ।

5.6.1 **lok e 0;o/kku %** ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना से सेवा मुक्त होने की तारीख से 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

5.6.2 **fpfdRlk J.kh % lok fuofr d le;** 'AYE' अथवा 'SHAPE-I' होनी चाहिए ।

5.6.3 **lok efDr d le; pfj= %** आदर्श/बहुत बढ़िया।

6. **<u>iek.ku dh ifd;k vkj iek.k&i=k dk ik:i %</u>**

6-1 वे अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण–पत्रों को दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेज सत्यापन के लिए मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी। प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस अधिसूचना के साथ संलग्न किए गए हैं।

6-2 अभ्यर्थियों को उनके संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश में भर्ती हेतु, उनकी अधिवासी स्थिति सिद्ध करने के लिए संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध **<u>vf/kokl h@LFkk;h vkokl iek.k i= ¼ihvkjlh½</u>** के प्रस्तुत करने पर विचार किया जाएगा, ऐसा न कर पाने पर उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी। अधिवासी/पीआरसी प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन प्रपत्र में दर्शाए गए राज्य/संघ शासित प्रदेश के होने चाहिए। ऐसा नहीं किए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी।

6-3 अभ्यर्थी के अधिवासी राज्य के अलावा जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। जाति और अधिवासी प्रमाण पत्र उसी राज्य के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।

6-4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी के पास एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने पर यह विकल्प रहेगा कि वे मूल राज्य में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं अथवा स्थानांतरित राज्य में अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में बैठना चाहते हैं। ऐसे विकल्प को अभ्यर्थी को अपने ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में भरना होगा। ऐसे विकल्प को बदलने का अनुरोध आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात नहीं किया जाएगा। यदि एक अभ्यर्थी मूल राज्य से आरक्षण के लाभ लेने का विकल्प चुनता है तो उसे अपने आवेदन प्रपत्र में अपने मूल जिले एवं राज्य के साथ–साथ अपने वर्तमान अधिवास के जिले एवं राज्य को भी दर्शाना होगा और उसकी अभ्यर्थिता मूल राज्य से मानी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को मूल राज्य से अधिवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

6-5 अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी को यह अवश्य सुनिश्चत करना चाहिए कि वह जाति/समुदाय प्रमाण पत्र रखता है और एक निर्णायक तिथि अर्थात् ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है।

6-6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति का दावा करने की निर्णायक तिथि ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

6-7 उपरोक्त के संबंध में अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता के सत्यापन किए जाने तक अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी यदि वे उनके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति का धोखे से दावा करते हैं और अन्य लाभ लेना चाहते हैं।

6-8 चूंकि असम राज्य अधिवासी प्रमाण पत्र/स्थायी आवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी नहीं करता है, असम राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों को उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों से उनकी आवासीय स्थिति के सत्यापन के अधीन होगा।

6-9 पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) जो कि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में रह रहे हैं परंतु जिन्हे केन्द्र शासित प्रदेश के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें जम्मू एवं कश्मीर राज्य और लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश के नामित प्राधिकारी से अधिवासी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की शर्त के बिना भर्ती किया जाएगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों को अनुलगनक–VII के अनुसार डब्ल्यूपीआर से जन्म/पहचान प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

7. **vkonu dSls djsa %&**

7-1 आवेदन पत्रों को केऔसुब की वेबसाईट www.cisfrectt.in पर ऑनलाईन तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विस्तृत दिशा–निर्देशों के लिए, कृपया इस सूचना के **vuqyxud&I** और **vuqyxud&II** को देखें। **^,d ckj iathdj.k*** के नमूना प्रपत्र और ऑनलाईन **^vkonu i=*** क्रमशः **vuqyud&I,** और **vuqyud&II,** के रूप में संलग्न हैं। आवेदन का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है।

7-2 **vkuykbu vkonu i= esa vH;fFkZ;ksa dks fuEufyf[kr nLrkost+ksa dks viyksM djuk vko';d gksxk %&**

- **QksVksxzkQ dks viyksM djuk** – जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (**vFkkZr ijh{kk dh lwpuk ds çdk'ku dh rkjh[k ls rhu egheus ls vf/kd iqjkuk ugÈ gks½**। फोटो की छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। **ftl rkjh[k dks QksVks [khaph xÃ gS og QksVks ij Li"V :i ls Nih gksuh pkfg,A QksVks ij Nih rkjh[k ds fcuk vkonu vLohdkj dj fn, tk,axsA èkqaèkyh rLohj okys vkonu Hkh vLohdkj dj fn, tk,axsA**
- **gLrk{kj dks viyksM djuk** – जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **vLi"V gLrk{kj okys vkonuksa dks vLohdkj dj fn;k tk,xkA**
- **nLrkost+ksa dks viyksM djuk** – अभ्यर्थी को अपनी आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्थात मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र) के संबंध में संगत दस्तावेजों **¼ihMh,Q izk:i½** की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करना अपेक्षित होगा।

7-3 ऑनलाईन आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **04-03-2022 ¼lk;a 05%00 cts½** है।

7-4 **vH;fFkZ;ksa dks mudss fgr esa lykg nh tkrh gS fd os vfre frfFk ls dkQh igys vkuykbu vkonu djsa vkSj mUgsa vfre fnuksa ds nkSjku osclkbV ij vR;f/kd yksM ds dkj.k bUVjusV dh lEHkkfor fcPNsnrk@ykWx bu u gksuk vFkok ykWx bu esa vlQyrk ls cpus ds fy, vfre frfFk dk bartkj ugha djuk pkfg,A**

7-5 ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थियों को यह अवश्य जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने प्रपत्र में प्रत्येक कॉलम में सही विवरण भरे हैं। ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन, परिशुद्धि, संशोधन अनुमत नहीं किया जाएगा। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथों–हाथ आदि के रूप में प्राप्त हुए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7-6 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन में दिए गए सही मोबाईल नम्बर तथा सक्रिय ईमेल आईडी ही भरें क्योंकि अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचना एसएमएस अथवा ई मेल के माध्यम से दी जाएगी।

7-7 अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनुमत है। यदि एक अभ्यर्थी द्वारा किए गए एक से अधिक आवेदन पत्रों का पता चलता है तो उसके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

8. **vkonu 'kqYd %**

8-1 देय शुल्क : रूपए 100/– (रूपए एक सौ केवल)

8-2 आरक्षण के पात्र अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

8-3 शुल्क को डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डों और यूपीआई का प्रयोग करते हुए नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जेनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। उपरोक्त दर्शाए गए माध्यमों के अलावा भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8-4 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन शुल्क का भुगतान **04-03-2022 ¼23%30 cts½** तक किया जा सकता है। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो एसबीआई के चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं, वे इसका भुगतान एसबीआई की शाखाओं में कार्य घंटों के दौरान बैंक में **07-03-2022** तक नकद रूप में कर सकते है, बशर्ते उनके द्वारा चालान **04-03-2022 ¼23%30 cts½** से पहले जेनरेट कर दिया गया हो।

8-5 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

9. **ijh{kk esa izos'k %**

9-1 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन की प्रतिक्रिया में अंतिम तिथि और समय पर आवेदन करते हैं और जिनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियम और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें पीईटी/पीएसटी में बुलाने के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तदनुसार, योग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरणों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

9-2 विभाग पीईटी/पीएसटी और लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच नहीं करेगा। इसलिए अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं, आयु, शारीरिक और चिकित्सीय मानकों आदि की अपेक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें यह स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे की पुष्टि भर्ती की समग्र प्रक्रिया के दौरान नहीं होती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

9-3 परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाई तरीके से सीआईएसएफ की वेबसाईट www.cisfrectt.in के माध्यम से जारी किए जाएंगे और डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को इसलिए सलाह दी जाती है कि वे सीआईएसएफ की वेबसाईट को नियममित रूप से विजिट करते रहें जिससे उन्हें भर्ती प्रक्रिया पर अपडेट मिलता रहे।

9-4 अभ्यर्थियों को कोई भी पत्र भेजते समय अपने नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाईल संख्या अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।

9-5 पीईटी/पीएसटी, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को सीआईएसएफ की वेबसाईट www.cisfrectt.in पर परीक्षा से दस दिन पहले उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/केंद्र पर प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेकर आना होगा।

9-6 वेबसाईट से प्रवेश पत्र डाउनलाड न होन पाने के मामले में, अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी, लिखित परीक्षा अथवा डीवी/डीएमई/आरएमई से कम से कम एक सप्ताह पहले सीआईएसफ से संपर्क करना चाहिए।

9-7 प्रवेश पत्र के अलावा दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली–भांति प्रिन्ट की हुई हो जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी फोटो वाले पहचान पत्र की भली भांति प्रिंट की गई प्रतियां पहचान के उद्देश्य के लिए लानी होंगी।

9-8 यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी पहचान के लिए अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र (उदाहरणतया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएससी/आईसीएसई/राज्य बोर्डो द्वारा जारी अंक तालिकाएं, जन्म प्रमाण पत्र) लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9-9 प्रवेश पत्र में उल्लिखित अन्य कोई दस्तावेज भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठते समय लाना होगा।

9-10 धुंधले फोटोग्राफ और/अथवा धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

10 Hkrh] ifdz;k %&

10-1 **'kkjhfjd n{krk ijh{kk ¼ihÃVh½@'kkjhfjd ekud ijh{k.k ¼ih,lVh½** : सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के अनुरूप अंतिम तिथि और समय तक खुद को पंजीकृत करते हैं और जिनके आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और क्रम में पाए जाते हैं उन्हें पीईटी/पीएसटी में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच दस्तावेज़ सत्यापन(डीवी) के समय की जाएगी। इसलिए, पीईटी/पीएसटी, लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने से पहले अभ्यर्थियों की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे इस नोटिस में निर्धारित अपनी पात्रता को सत्यापित करें। जो अभ्यर्थी हाइट बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं, उन्हें पीएसटी से पहले पीईटी (दौड़) के बाद बायोमेट्रिक पंजीकरण (बाएं अंगूठे का निशान (एलटीआई)/दाहिने अंगूठे का निशान (आरटीआई)/उंगलियों का निशान) से गुजरना होगा। पीईटी (दौड़) उत्तीर्ण करने के बाद और पीईटी/पीएसटी बोर्डों द्वारा पीएसटी से पहले किसी भी छूट अर्थात् आयु, कद और सीना माप के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जाएगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए ऊपर उल्लिखित कद और सीना (जैसा भी मामला हो) में छूट केवल सक्षम प्राधिकारियों से **vuqyXud&VI** में निर्धारित प्रोफार्मा में पीईटी/पीएसटी के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार्य होगी। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वैध मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

10-1-1 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को केवल कद, सीना और वजन के माप की रिकार्डिंग के लिए पीईटी/पीएसटी में शामिल होना होगा। इन भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए पीईटी आयोजित नहीं की जाएगी। तथापि, उन्हें चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

10-1-2 **'kkjhfjd n{krk ijh{kk** : (पीईटी) अभ्यर्थियों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा।

10-1-3 **'kkjhfjd ekud ijh{kk ¼ih,lVh½** – वे अभ्यर्थी जो हाईटबार परीक्षा और पीईटी (दौड़) में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद/सीना और वजन के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। पद के लिए शारीरक मानक निम्नानुसार हैं :–

i) कद –170 सेमी। ii) सीना – 80–85 सेमी (न्यूनतम फुलाव 5 सेमी)		
iii) अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए शारीरिक मानकों में अनुमत छूट निम्नानुसार हैः–		
fuEufyf[kr gsrq NwV	**dn**	**lhuk**
क) गढ़वाल, कुमाउं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर की कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी।	165 सेमी	78–83 सेमी (न्यूनतम फुलाव 5 सेमी)
**दार्जिलिंग जिले के तीन उप प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिमपोंग और कुर्सीयोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित ''मौउज़ा'' उप प्रभाग शामिल हैंः– (1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारू (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग–1 (10) पंतापति जंगल–1 (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट–2 (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक पहाड़ी जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा पेंगा (18) नाईपेनिया।		
ख) मिजो और नागा सहित ट्राइबल अथवा आदिवासी से संबंधित अभ्यर्थी।	162.5 सेमी.	77–82 सेमी (05 सेमी के न्यून्तम फुलाव)

10-1-4 जिन अभ्यार्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात् कद और सीने में अयोग्य घोषित किया जाता है, वे उसी दिन, यदि वे चाहें तो, पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पीईटी (दौड़) के लिए कोई अपील नहीं होगी।

10-2 vks,evkj@dEI;wVj vk/kkfjr ijh{kk ¼lhchVh½ ekM dh rgr fyf[kr ijh{kk %&

10.2.1 पीईटी/पीएसटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, जिसकी संरचना निम्नलिखित होगीः–

Hkkx	fo"k;	i'uk dh l[;k	vf/kdre vad	vof/k@le; lhek
भाग–ए	सामान्य बुद्धि और तर्क	25	25	120 मिनट
भाग–बी	सामान्य ज्ञान और जागरूकता	25	25	
भाग–सी	प्रारंभिक गणित	25	25	
भाग–डी	अंग्रेजी / हिंदी	25	25	

10.2.2 **lHkh vH;fFk;k dh igpku fyf[kr ijh{kk l igy ihbVh@ih,lVh d le; ithdr ck;kefVd ifjp; i= l lR;kfir dh tk,xhA**

10.2.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा केवल ओएमआर/ कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

10.2.4 परीक्षा की तारीखों की सूचना अभ्यर्थियों को केवल सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisfrectt.in के माध्यम से दी जाएगी।

10.2.5 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.2.6 लिखित परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisfrectt.in पर प्रदर्शित की जाएगी।

10.2.7 लिखित परीक्षा में प्रश्न 12वीं कक्षा **¼foKku fo"k;½** के स्तर के होंगे।

10.2.8 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में कैलकुलेटर और किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए उन्हें परीक्षा हॉल/लैब के अंदर इनको नहीं लाना चाहिए।

10.3 विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डी एम ई) के संचालन से पहले, निम्नलिखित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज लाने होंगे।

i) आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता साबित करने के लिए मैट्रिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र।
ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवासी प्रमाण पत्र/स्थायी निवास प्रमाण पत्र (पीआरसी)।
iii) भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों से **vuqyXud&VIII** में निर्धारित प्रारूप में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और वचनबद्धता।
iv) आरक्षण/आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को नोटिस के **vuqyXud&III] vuqyXud&IV vkj vuqyXud&V** में निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (जैसा लागू हो)।
v) कद/सीना माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों से नोटिस के **vuqyXud&VI** में यथा निर्धारित प्रमाण पत्र।
vi) इस अधिसूचना के पैरा–5.2.1 के तहत श्रेणी (iv) में यथा उल्लिखित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र।
vii) नोटिस के **vuqyXud&VII** में निर्धारित प्रारूप में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी द्वारा जन्म/पहचान प्रमाण पत्र।

10.4 **nLrkost lR;kiu vkj fpfdRlk ijh{kk** पीईटी/पीएसटी और लिखित परीक्षा के पूरा होने के बाद, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को आबंटित रिक्तियों के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और श्रेणीवार मेरिट सूची अलग से तैयार की जाएगी। केवल वे अभ्यर्थी जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्ति के अनुसार चयन सूची में स्थान पाते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन (डीवी) में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सा फिटनेस का आकलन करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, दिनांक 20.05.2015 के गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI–1/2014–भर्ती(एसएसबी) और दिनांक 31.05.2021 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(मेडि)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1/2020 (पार्ट फाईल)/1/1166 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशा निर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी।

11. **p;u dk rjhdk %**

11.1 भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), और ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) शामिल होगी।

11.2 अगले चरण के लिए लिखित परीक्षा/सीबीटी में योग्यता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत निम्नानुसार होगाः

अना./ईडब्ल्यूएस/भ.पू.सैनिक	: 35 %
अजा./अजजा./अपवि.	: 33 %

fVIi.kh& अर्हक अंक का अर्थ है कि योग्यता अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अगले चरण के लिए नहीं बुलाया जाएगा, भले ही रिक्तियां अधूरी रह जाएं। अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए लिखित परीक्षा में योग्यता के आधार पर और आबंटित रिक्ति के अनुसार प्रत्येक राज्य/श्रेणी के कट ऑफ अंक के आधार पर अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।

11.3 **efjV fyLV** :– पीईटी/पीएसटी और लिखित परीक्षा पूरी होने के बाद,लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में राज्य और श्रेणीवार मेरिट सूची अर्थात् अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम अलग से तैयार की जाएगी।

11.3.1 **Vkbl ekeyks dk lek/kku** : लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में बराबरी की स्थिति में, ऐसे मामलों का समाधान दिए गए क्रम में एक के बाद एक, जब तक टाई का समाधान नहीं हो जाता, तब तक निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके हल किया जाएगाः

i. बड़ी उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी;
ii. आगे यदि कोई टाई हो तो, अभ्यर्थी के कद की तुलना करके हल किया जाएगा अर्थात् कद में लम्बे अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी;
iii. यदि मामला अभी भी अनसुलझा रहता है, तो इसे अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता द्वारा हल किया जाएगा अर्थात ज्यादा शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी और;
iv. यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो इसे नामों के वर्णानुक्रमिक क्रम का हवाला देकर हल किया जाएगा अर्थात जिस अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वर्णानुक्रम में पहले आता है, उसे वरीयता मिलेगी।

11.3.2 अभ्यर्थियों को एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए और इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिलों की रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेज सत्यापन/विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय अधिवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा। **vH;fFk;ks dks cgqr lkoèkku jguk pkfg, vkSj v,uykbu vkosnu i= esa vf/kokl h jkT; vkSj ftys ds ckjs esa tkudkjh çnku djrs le; mfpr vH;kl djuk pkfg,A vkosnu i= tek djus ds ckn vf/kokl h jkT; vkSj ftys ds ifjorZu ds fdlh Hkh vuqjksèk ij fdlh Hkh ifjfLFkfr esa fopkj ugÈ fd;k tk,xkA ;fn v,uykbu vkosnu i= vkSj nLrkost lR;kiu@Mh,eÃ ds le; mlds }kjk tek fd, x, vf/kokl h çek.k i= esa vH;FkhZ }kjk mfYyf[kr ftys vkSj@;k jkT; esa dkÃ fHkUurk gS] rks mldh vH;fFkZrk rqjar jí dj nh tk,xh vkSj mls foLr`r fpfdRlk ijh{kk esa Hkkx yus dh vuqefr ugÈ nh tk,xhA**

11.3.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो अन्य समुदायों के अभ्यर्थियों के साथ–साथ बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं, उन्हें समग्र मेरिट सूची में उनकी स्थिति के अनुसार रिक्तियों की आरक्षित संख्या के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा।

11.3.4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो छूट मानकों जैसे आयु सीमा, कद और सीना माप, लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रदान की गई संख्या से अधिक अंक आदि,के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी योग्यता स्थिति के बावजूद ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध गिना जाना है। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, पूर्व सैनिकों की आयु में से प्रदान की गई सैन्य सेवा की कटौती आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए अनुमत है और इस तरह की छूट को उम्र के संबंध में छूट मानकों के रूप में नहीं माना जाएगा।

11.3.5 **fpfdRlk ijh{kk**– प्रत्येक श्रेणी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, दिनांक 20.05.2015 के गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI–1/2014–भर्ती(एसएसबी) और दिनांक 31.05.2021 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(मेडि)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1/2020 (पार्ट फाईल)/1/1166 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी।

12 **fu.kZ;%** पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, परीक्षा के आयोजन, मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. **vH;fFkZ;ksa dks egRoiw.kZ funsZ'k %**

(i) आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि अंतिम तिथि से पहले के दिनों के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण वेबसाइट पर लॉग इन करने में असमर्थता/अक्षमता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।

(iii) मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों का सत्यापन विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमआई) के समय किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों आदि की आवश्यकताओं को जांच ले और खुद को संतुष्ट कर ले कि वे पद के लिए पात्र हैं। जब दस्तावेज़ सत्यापन के समय दस्तावेज़ की जांच की जाती है, तो आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(iv) इस परीक्षा के नोटिस के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम या अन्य छूट जैसे आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं। जब प्रमाणपत्रों की प्रतियां मांगी जाएंगी, तो उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में संबंधित मूल प्रमाण पत्र होने चाहिएं।

(v) एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति से संबंधित अभ्यर्थी को एक सूचित विकल्प बनाना होगा कि मूल राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है या प्रवास के राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होना है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इस तरह के विकल्प का प्रयोग करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के बाद ऐसे विकल्प में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें आवेदन पत्र में वर्तमान अधिवास के जिले और राज्य के साथ–साथ अपने मूल जिले और राज्य के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। ऐसे मामलों में उनकी अभ्यर्थिता पर मूल राज्य से विचार किया जाएगा।

(vi) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

(vii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई–मेल पता और मोबाइल नंबर भरें क्योंकि महत्वपूर्ण पत्राचार ई–मेल/एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है।

(viii) देय शुल्कः 100/– रुपये (केवल एक सौ रुपये)। आरक्षण के लिए योग्य अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के पात्र अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है।

(ix) अभ्यर्थी अपना नाम,जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम अपनी दसवीं के प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार लिखें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता दस्तावेजों की जांच के बाद या फिर जब कभी नोटिस में आएगा तो रद्द कर दी जाएगी।

(x) ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को उम्र और शैक्षणिक योग्यता(अर्थात मैट्रिक सर्टिफिकेट और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सर्टिफिकेट) के संबंध में संबंधित दस्तावेजों की फोटो, हस्ताक्षर और स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करने की आवश्यकता है।

(xi) **vH;fFkZ;ksa dks cgqr lkoèkkuh jguk pkfg, vkSj v,uykbu vkosnu i= esa vf/koklh jkT; vkSj ftys ds ckjs esa tkudkjh çnku djrs le; mfpr vH;kl djuk pkfg,A vkosnu i= tek djus ds ckn vf/koklh jkT; vkSj ftys ds ifjorZu ds fdlh Hkh vuqjkèk ij fdlh Hkh ifjfLFkfr esa fopkj ugÈ fd;k tk,xkA ;fn v,uykbu vkosnu i= vkSj nLrkost lR;kiu@Mh,eÃ ds le; mUgsa }kjk tek fd, x, vf/koklh çek.k i= esa vH;FkhZ }kjk mfYyf[kr ftys vkSj@;k jkT; esa dkÃ fHkUurk ikÃ tkrh gS] rks mudh vH;fFkZrk rqjar jí dj nh tk,xh vkSj mUgsa foLr`r fpfdRlk ijh{kk esa Hkkx ysus dh vuqefr ugÈ nh tk,xhA**

(xii) परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय उचित अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा में (किसी भी स्तर पर) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(xiii) धुंधली अथवा अस्पष्ट तस्वीर/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

(xiv) एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। डाक/फैक्स/ईमेल/स्वयं आदि के माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(xv) जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार माना जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए। 'आवेदन पत्र' का प्रिंटआउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(xvi) अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ईएसएम डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला पहचान पत्र पहचान के उद्देश्य के लिए परीक्षा स्थल पर लाना चहिए। **;fn QkVks igpku i= esa tUe frfFk fy[kh gÃ ugÈ gS] rks vH;FkhZ dks viuh tUe frfFk ds çek.k esa ,d vfrfjä ewy çek.k i= ykuk gksxkAços'k i= esa mfYyf[kr tUe frfFk vkSj tUe frfFk ds leFkZu esa yk, x, QksVks vkÃMh@ çek.k i= esa esy ugÈ gksus dh fLFkfr esa] vH;FkhZ dks ijh{kk esa cSBus dh vuqefr ugÈ nh tk,xhA**

(xvii) किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़ंत आवेदन/पंजीकरण के मामले में, अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(xviii) अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे।

(xix) पीईटी/पीएसटी, लिखित परीक्षा और डीवी/डीएमई/आरएमई के लिए प्रवेश पत्र सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisfrectt.in पर जारी/अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से सीआईएसएफ की वेबसाइटwww.cisfrectt.in देखें।

(xx) यदि कोई अभ्यर्थी पीएसटी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट/सहमत नहीं है, तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र में केवल पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पीईटी (दौड़) के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।

(xxi) यदि कोई अभ्यर्थी पीईटी के दौरान किसी ऊर्जावान दवा/ड्रग आदि के प्रभाव में पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

(xxii) किसी भी जानकारी के लिए, जैसे आवेदन भरने एवम् पीईटी/पीएसटी, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा आदि के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, यदि कोई है, तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन नंबर 011–24366431/24307933 पर संपर्क कर सकते हैं।

(xxiii) भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 2–3 दिनों तक ठहरने के लिए विधिवत तैयार होना चाहिए। यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।

(xxiv) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि सत्यापन के समय, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के पहले या बाद में या नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने/बल में शामिल होने के बाद भी, यह पाया जाता है कि वे किसी भी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता/पद के लिए चयन रद्द कर दिया जाएगा।

(xxv) परीक्षा में सफलता नियुक्ति का कोई अधिकार जब तक प्रदान नहीं करती, जब तक विभाग अनिवार्य समझी जाने वाली ऐसी जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

(xxvi) यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।

(xxvii) यदि कोई भी अभ्यर्थी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में शामिल पाया जाता हैं तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वह उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(xxviii) सीआईएसएफ का प्रयास पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ योग्य, प्रतिबद्ध, ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों की भर्ती करना है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे **Þnykyksa ls lkoèkku jgsaÞA**

¼v,uykbu vkosnu Hkjus dh çfØ;k½

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I. एक बार पंजीकरण
II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना

Hkkx &1 ¼,d ckj iathdj.k½

अभ्यर्थी के लिए एक बार पंजीकरण एक स्थायी डेटाबेस होगा। सीआईएसएफ द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन **"iathdj.k Q,e"** और **"vkosnu i="** भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। एक बार पंजीकरण के साथ आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज तैयार रखें:

क. मोबाइल नंबर

ख. ईमेल आईडी (सत्यापित ई–मेल के माध्यम से सत्यापन किया जाना है)।

ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करें। (बाद में आपको मूल दस्तावेज भी दिखाना होगा):

i. मतदाता पहचान पत्र
ii. पैन कार्ड
iii. पासपोर्ट
iv. ड्राइविंग लाइसेंस
v. स्कूल/कॉलेज आईडी
vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम / निजी)

घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10 वीं) परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

igyh ckj iathdj.k dSls djs :–

1. सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.cisfrectt.in पर लॉग ऑन करें।
2. होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा। "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।
3. नया पेज प्रदर्शित होगा। "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें।
4. एक बार पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी भरने की आवश्यकता होती है:
   क. मूल विवरण
   ख. अतिरिक्त और संपर्क विवरण
   ग. घोषणा।
5. **",d ckj iathdj.k Q,e" Hkjus ds fy,] —i;k fuEufyf[kr pj.kksa dk ikyu djsa%**

क. कुछ महत्वपूर्ण विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि) को पंजीकरण फॉर्म के प्रासंगिक कॉलम में दो बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है ताकि फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलतियों से बचा जा सके। यदि मूल और सत्यापित डेटा कॉलम के आंकड़ों में मेल नही है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक संकेत लाल रंग के शब्दों में दिया जाएगा।
ख. अपना नाम ठीक वैसे ही भरें, जैसे मैट्रिक (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में हैं । यदि मैट्रिक के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें।
ग. अपने पिता का नाम ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिक (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दिया गया है।
घ. अपनी माता का नाम ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिक (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में दिया गया है।
ड़. अपनी जन्मतिथि **Bhd** वैसे ही भरें जैसे मैट्रिक (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दी गई है।
च. अपने लिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें।
छ. सबमिट बटन पर क्लिक करें। नया पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा।
ज. अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें और मूल विवरण भरें।
झ. अपना मैट्रिक (10 वीं कक्षा) परीक्षा का विवरण भरें जिसमें शामिल हैं:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम

ii. रोल नंबर

iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

iv. अपने शैक्षिक योग्यता के स्तर (उच्चतम) के बारे में जानकारी प्रदान करें।

ञ. स्थायी और वर्तमान पते सहित अपना संपर्क विवरण भरें।

ट. अपना क्रियाशील मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी भरें। यह भी नोट कर ले कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा, वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल–आईडी पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ठ. 'घोषणापत्र' को ध्यान से पढ़ें, अगर आप घोषणापत्र से सहमत हैं तो '**Qkbuy lcfeV**' बटन पर क्लिक करें।

ड. पुष्टि होने पर, आपका डेटा सहेज लिया जाएगा और आपकी पंजीकरण–संख्या और पासवर्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा।

ढ. अपनी पंजीकरण–संख्या का ''यूजर्सनेम'' के रूप में और आपके ईमेल पर प्रदान किए गए ''ऑटो–जेनरेटेड पासवर्ड'' का उपयोग करके लॉगिन करें।

6. **vkidk iqu% lkoèkku fd;k tkrk g fd uke] firk dk uke] ekrk dk uke] tUe frfFk] efVªd ijh{kk dk fooj.k Bhd olk gh Hkjk tkuk pkfg, tlk fd efVªd çek.ki= e ntl fd;k x;k gA =fVi.k@xyr tkudkjh d ekey e vkidh vH;fFkrk jí dh tk ldrh gA**

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
Ministry Of Home Affairs

For Any Query Helpline No. 011-24366431
011-24307932
cisfrectt@cisf.gov.in

New Registration

Basic Details

Name:*	USER TEST	Name as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate. Do not use Mr./Ms./Shri etc. मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज किए गए नाम (श्री / श्रीमती / श्री आदि का उपयोग न करें।)
Verify Name:*	USER TEST	
Have you ever changed Name?*	◉Yes ○No	
New Name/Changed Name :		
Father's Name:*	FATHER TEST	Father Name as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate. Do not use Mr./Shri etc. मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज किए गए पिता का नाम (श्री / श्री आदि का उपयोग न करें।)
Verify Father's Name:*	FATHER TEST	
Mother's Name:*	MOTHER TEST	Father Name as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate. मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज किए गए माता का नाम (किसी भी उपसर्ग जैसे श्रीमती / एमआरएस का प्रयोग न करें आदि।
Verify Mother's Name:*	MOTHER TEST	
Date of Birth:*	01-01-2001	Date of Birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate. मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि
Verify Date of Birth:*	01-01-2001	
Gender:*	◉Male ○Female ○Transgender	
Verify Gender:*	◉Male ○Female ○Transgender	
Enter letter as shown	crH3L8	crH3L8 refresh

Submit Close

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
Ministry Of Home Affairs

For Any Query Helpline No. 011-24366431
011-24307932
cisfrectt@cisf.gov.in

Personal Details Form

Name:*	X
Changed Name:*	
Father's Name:*	X
Mother's Name:*	x
Date of Birth:*	2000-01-01
Gender:*	◉Male ○Female ○Transgender

Basic Details

Do you have Aadhaar:*	○YES ◉NO
Aadhaar Number:	
Verify Aadhaar Number:	**If Aadhaar not available** **Enter Photo Bearing Card Details:** Type Of Card: ___ Eg. Voter Card,Driving License etc. Number: ___
Category:*	○SC ○ST ○OBC ○EWS ◉ General
Verify Category:*	○SC ○ST ○OBC ○EWS ◉ General
Whether you belong to Religious Minority Community?:	○Yes ◉No
Nationality:	Indian
If person with disabilty?:	○Yes ◉No

Matriculation(10th Class) Examination Details

Education Board	
Verify Education Board	
Roll No	
Verify Roll No	
Year of passing	
Verify Year of passing	
Level of Education Qualification	Select

Contact Details Form

House No.	
Village/Ward.*	
Post*	
Police Station*	
State*	Select State
District*	Select district
Pin Code*	
If Permanent address and Present address are the same.	Check this box ☐
Present Address*	
House No.	
Village/Ward.	
Post	
Police Station	
State	Select State
District	Select district

Pin Code	
STD Code:	
Phone Number:	
Mobile Number:*	
Verify Mobile Number:*	
Email Id:* (Give valid Email ID. All future communication will be send on this Email ID.)	
Confirm Email Id:*	

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any informationbeing found false or incorrect at any stage my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

☐ I agree.

Enter letter as shown in the Image		MptSg7 refresh

Submit Close

india.gov.in National Portal of India

© Content owned by Central Industrial Security Force (MHA). Govt. of India

Hkkx&II ¼v,uykbu vkosnu i=½

1\. ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें :

क) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (**vFkkZr ijh{kk dh lwpuk ds çdk'ku dh rkjh[k ls rhu eghus ls vf/kd iqjkuk ugÈ gks½**। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। **ftl rkjh[k dks QksVks [khaph xÃ gS og QksVks ij Li"V :i ls Nih gksuh pkfg,A QksVks ij Nih rkjh[k ds fcuk vkosnu [kkfjt dj fn, tk,axsA èkqaèkyh rLohj okys vkosnu Hkh [kkfjt dj fn, tk,axsA**

ख). जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **vLi"V gLrk{kj okys vkosnuksa dks vLohdkj dj fn;k tk,xkA**

2\. पंजीकृत अभ्यर्थी अपने 'पंजीकरण–संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली में लॉग इन कर सकते हैं।

3\. सीआईएसएफ भर्ती की वेबसाइट अर्थात https://ww.cisfrectt.in पर लॉग इन करें और '**lhVh&Qk;j 2021**' टैब पर क्लिक करें।

4\. आवश्यक विवरण जैसे 'पंजीकरण संख्या', 'पासवर्ड', 'कैप्चा' भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

5\. नया पृष्ठ खुलेगा, जहां अभ्यर्थी '**osfyMsV Ãesy**' टैब पर क्लिक करके अपने ईमेल को सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापन के बाद, '**dkaLVscy Qk;j&2021**' टैब पर क्लिक करें और फिर '**vkosnu i=**' पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन पत्र खुल जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी द्वारा भरा गया डेटा/विवरण स्वचालित रूप से आवेदन पत्र में संबंधित क्षेत्रों में भर जाएगा। शेष खाली क्षेत्रों को अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण बहुत सावधानी से भरें।

6\. एक बार जब अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भर देता है, तो उसे नीचे '**lcfeV vkSj dSasly**' नामक दो बटन मिलेंगे, यदि अभ्यर्थी कैंसल बटन का उपयोग करता है, तो वह आवेदन पत्र से बाहर आ जाएगा। कोई डेटा/विवरण सहेजा नहीं जाएगा।

7\. एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भर जाने के बाद, घोषणा को ध्यान से पढ़ें और **Þlcfe**V**Þ** बटन पर क्लिक करें, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपके द्वारा भरा गया सभी डेटा/विवरणों को सहेज लेगा।

8\. **mijksä Øekad la[;k &1¼d½ ds fu/kZkfjr vkdkj viuk gky gh dk QksVks ¼ijh{kk dh lwpuk ds çdk'ku dh frfFk ls rhu eghus ls vf/kd iqjkuk ugÈ½ viyksM djsaA**

9\. क्रमांक संख्या – 1 (ख) में यथा निर्दिष्ट अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। **èkqaèkys gLrk{kj okys vkosnuksa dks vLohdkj dj fn;k tk,xkA**

10\. ऊपर अपलोड किया गया फोटो परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और जिस तारीख को फोटो लिया गया है उस पर स्पष्ट रूप से छपा होना चाहिए।

11\. **vk;q vkSj 'kSf{kd ;ksX;rk ds çek.k ds fy, eSfVªdqys'ku lfVZfQdsV vkSj lhfu;j lsdaMjh ijh{kk lfVZfQdsV dh Ldsu d,h viyksM djsaA**

12\. सभी आवश्यक दस्तावेज और छवि अपलोड करने के बाद, पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाले भुगतान बटन पर भुगतान करने के लिए जारी बटन पर क्लिक करें।

13\. अब भुगतान विंडो दिखेगी। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उन्हें यह संदेश दिखाई देगा कि **vki 'kqYd NwV ds ik= gS** और उन्हें '**vkosnu fiaV** करें' का विकल्प मिलेगा।

14\. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

15\. शुल्क भुगतान मोड का विकल्प का चयन करते हुए, शुल्क का भुगतान यूपीआई, नेट बैंकिंग, केडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके अथवा एसबीआई चालान जेनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में नकद जमा करके शुल्क का भुगतान करें। यदि अभ्यर्थी चालान विकल्प का चयन करता है तो अभ्यर्थी को सर्वर से शुल्क जमा करने के लिए चालान फार्म प्राप्त होता है। चालान फार्म प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में जाकर शुल्क जमा करना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। बैंक एमआईएस रिपोर्ट जेनरेट करेगा और सीआईएसएफ को भेजेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटे के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है।

16\. भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं।

,,,,,,,,,

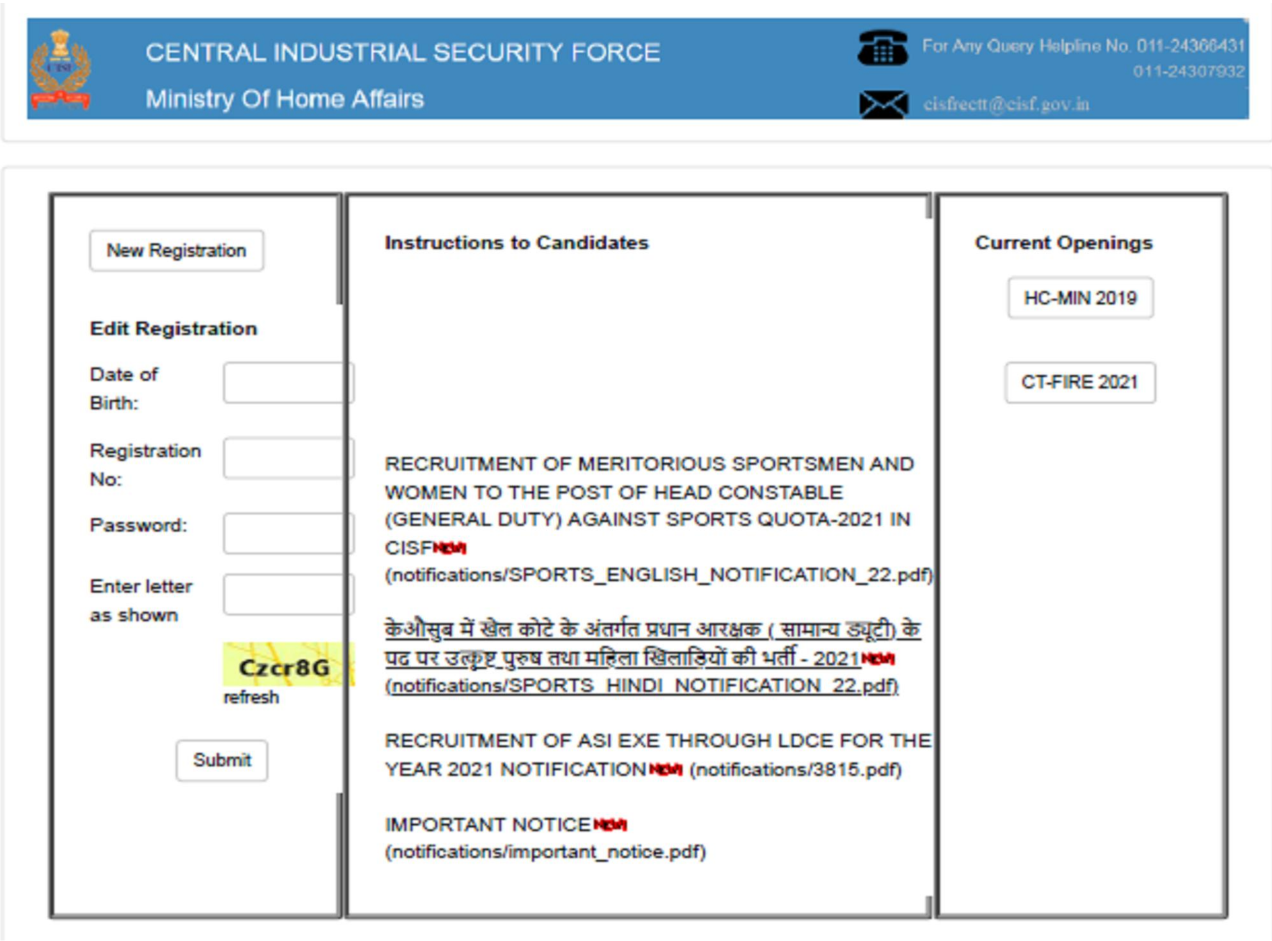

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

Ministry Of Home Affairs

For Any Query Helpline No. 011-24366431
011-24307932

cisfrectt@cisf.gov.in

New Registration

Edit Registration

Date of Birth:

Registration No:

Password:

Enter letter as shown

Czcr8G

refresh

Submit

Instructions to Candidates

RECRUITMENT OF MERITORIOUS SPORTSMEN AND WOMEN TO THE POST OF HEAD CONSTABLE (GENERAL DUTY) AGAINST SPORTS QUOTA-2021 IN CISF NEW (notifications/SPORTS_ENGLISH_NOTIFICATION_22.pdf)

केऔसुब में खेल कोटे के अंतर्गत प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद पर उत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों की भर्ती - 2021 NEW (notifications/SPORTS_HINDI_NOTIFICATION_22.pdf)

RECRUITMENT OF ASI EXE THROUGH LDCE FOR THE YEAR 2021 NOTIFICATION NEW (notifications/3815.pdf)

IMPORTANT NOTICE NEW (notifications/important_notice.pdf)

Current Openings

HC-MIN 2019

CT-FIRE 2021

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

Ministry Of Home Affairs

For Any Query Helpline No. 011-24366431
011-24307932

cisfrectt@cisf.gov.in

CT-FIRE 2021

Login

Registration No:

Password

Enter letter as shown in the Image

W9btfB refresh

Submit

Forgot Registration ID & Password

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

Ministry Of Home Affairs

For Any Query Helpline No. 011-24366431
011-24307932

cisfrectt@cisf.gov.in

Welcome - X(CISF2300000157)

Logout (logout.php)

Validate Email (email_input_fire.php

Constable Fire - 2021

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

Ministry Of Home Affairs

For Any Query Helpline No. 011-24366431
011-24307932

cisfrectt@cisf.gov.in

Welcome - X(CISF2300000157)

Logout (logout.php)

Back (menu_home_fire.php)

Validate Email (email_input_fire.php)

1	Constable/Fire-2021 Application.	Print Application

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

Ministry Of Home Affairs

For Any Query Helpline No. 011-24366431 [illegible]

cisfrectt@cisf.gov.in

Home | Application Form | Upload Images and Documents | Fee Payment | Print Form | Logout

(All * Fields are Mandatory)

Name of the candidate	X
Father's Name	X
Mother's Name	X
Date Of Birth	01-01-2001
Gender	male
Category	SC
Nationality	INDIAN

State/UT of Domicile*	Select State
District of Domicile	Select

Highest Educational Qualification	Select Educational Qualification
Qualifing Educational Qualification (10+2 with Science)	12th class passed with Science subject

Religion*	Select Religion

Whether seeking age relaxation	○ YES ◉ NO

If yes, indicate category	○ SC ○ ST ○ OBC ○ Ex-SM ○ Children/dependent of victims killed in 1984 riots or communal riots of 2002 in Gujarat ?

Whether belong to Militancy/Naxal affected District?	○ YES ◉ NO

Do you belong to Hill area (If Yes, Please choose any one from the options(Hill Category or Hill State)	○ YES ◉ NO

Permanent Address*	
House No.	
Village/Ward.	1
Post	1
Police Station	1
State	HARYANA
District	HISAR
Pin Code	123456

Communication Address*	
House No.	
Village/Ward.	1
Post	1
Police Station	1
State	HARYANA
District	HISAR
Pin Code	123456

Have you ever been convicted by any court of law or any other judicial institution?	Yes ○ No ◉
Is there any case pending against you in any court of law?	Yes ○ No ◉
Has any FIR been lodged and case is pending against you?	Yes ○ No ◉
Was any FIR ever lodged against you in the past?	Yes ○ No ◉
Have you ever been dismissed from any service under the Central or State Govt?	Yes ○ No ◉
Have your services ever been terminated while on probation?	Yes ○ No ◉

Whether you are an Ex-Servieman (ESM)	Yes ○ No ◉

Have you migrated from the State/UT of your origin to another State/UT?	○ YES ◉ NO

Marks of Visible Identification	
Mark1*	
Mark2*	

Mobile Number:*	9407952890
Email Id:*	sonu4822@gmail.com

Date on which Photograph has been taken*	dd-mm-yyyy

Whether the Date mentioned in the photo is clearly printed on the photograph?*	(•) YES ( ) NO

DECLARATION	
I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.*	(•) YES ( ) NO
I hereby declare that all the statements made in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.*	(•) YES ( ) NO

Submit	Cancel

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

Ministry Of Home Affairs

For Any Query Helpline No. 011-24366431 011-24307932

cisfrectt@cisf.gov.in

Home | Application Form | Upload Documents | Fee Payment | Print Form | Logout

Photo, Signature and certificates uploaded by you are displayed below.

(""" If not uploaded please upload here otherwise application will not be accepted """)

Upload Photo	
Upload Signature	
Matriculation Certificate for Date of Birth Proof	View File (file_view.php?url=XQ0u1tUIBwgXG4S5QLLXca0NQkuWDhWKVEOKz3DzXqng3UsspteGOCY9vTOyy0ATdl4YU19X7K04jebyUitsHg
Senior Secondary Examination Certificate:	View File (file_view.php?url=VVZ6mr6bC95fKQGMf4VBKrFhFFLFBt9pphclK6kjVjNYqykq08Rc4IU1-Sw9AoVfmFEg0h79jsnjagTq__oOCA)

Continue for Payment

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
Ministry Of Home Affairs
For Any Query Helpline No.
cisfrectt@cisf.gov.in
Home
Application Form
Uploaded Documents
Fee Payment
Print Form
Logout
***** Note:- You are proceeding towards payment of fee, Please do not refresh/close the page till recieve successful message. ******
Proceed to pay Rs 100/-
Back

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
Ministry Of Home Affairs
For Any Query Helpline No.
cisfrectt@cisf.gov.in
Home
Application Form
Uploaded Documents
Fee Payment
Print Form
Logout
You are eligible for Fee Exemption.
Print Application

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
APPLICATION FORM FOR RECRUITMENT OF CT/FIRE-2021

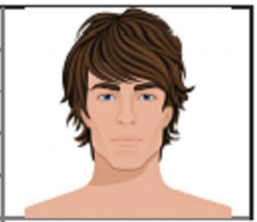

1.)Application Number	FIRET2200000022
2.)Post Applied for	CT/FIRE
3.)Candidate Name	X
4.)Fathers's Name	X
4.)Mothers's Name	X
5.)Date of Birth	01-01-2001
6.)Gender	male
7.)Nationality	INDIAN
8.)Religion	HINDU
9.)Category	SC
10.)State/UT of Domicile	HARYANA
11.)District of Domicile	HISAR
12.)Highest Educational Qualification	GRADUATION
13.)Qualifing Educational Qualification	12TH
14.)Whether seeking age relaxation	YES (**Category:SC**)
15.)Whether belong to Naxal affected district?	NO
16.)Belongs to Hill Area	NO
17.)(A)Communication Address: **H.No:** **Village:** 1 **Post:** 1 **PS:** 1 **District:** HISAR **State:** HARYANA **Pincode:** 123456	**(B)Permanent Address:** **H.No:** **Village:** 1 **Post:** 1 **PS:** 1 **District:** HISAR **State:** HARYANA **Pincode:** 123456
18.)Identification Marks:	(a)Mark (b)Mark2
19.)Fee Details:	Fee Exempted
21.)EX-SERVICEMEN:	NO
22.)Have you ever been convicted by any court of law or any other judicial Institution?	NO
23.)Is there any case pending against you in any court of law?	NO
24.)Has any FIR been lodged and case is pending against you?	NO
25.)Was any FIR ever lodged against you in the past?	NO
26.)Have you ever been dismissed from any service under the Central or State Govt.?	NO
27.)Have your services ever been terminated while on probation?	NO
28.)Have you migrated from the State/UT of your origin to another State/UT?	NO

DECLARATION

(i) I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.

(i) I hereby declare that all the statements made in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found supressed/false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/appointment is liable to be cancelled. i am willing to serve anywhere in india.

Singnature

Hkkjr ljdkj ds v/khu inks ij fu;qfDr ds fy, vkosnu djus okys vuqlfpr tkfr vFkok vuqlfpr tutkfr ls lacf/kr vkosndksa ds }kjk iLrqr fd;s tkus okys izek.k i= dk iz:i=

;g izekf.kr fd;k tkrk gS fd Jh@Jherh@dqekjh* ------------------------------------ iq=@iq=h Jh ------------------------------------xzke@uxj* --------------------- tks ftyk@[kaM*--------------------jkT;@la/k 'kkflr {ks=* -------------------------------tkfr ls lEcaf/kr gS dh igpku fuEu ds v/khu vuqlfpr tkfr@tutkfr* ds :i esa dh xbZ gS%&

@	''संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951*
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951*
	(जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति सूचियॉं (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोतर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)
@	'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
@	'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
@	'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
@	'संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@	'संवैधानिक (उतर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
@	'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
@	'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
@	'संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
@	'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@	'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@	'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990'
@	संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991
@	'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (दूसरा संशोधन) 2002
@	'संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976

% 2. ऐसे अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में अप्रवजन कर गए हों।

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती' .... पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी' ....गांव/नगर''...............................जिला/खंड' ....राज्य/संधशासित क्षेत्र' ....जो कि ....जाति/जनजाति से संबंधित हों जिसे राज्य/संधशासित क्षेत्र.....................................द्वारा जारी किए गए ....(उपरोक्त जारी करने वाला प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या ....दिनांक ....को जारी किया गया।

% 3 श्री/श्रीमती/कुमारी' .... और/अथवा/उसका' परिवार वास्तविक रूप से गांव/नगर'' ....जिला/खंड'.........................राज्य/संधशासित क्षेत्र' ....में रहते है ।

स्थान........................		हस्ताक्षर...........................
दिनांक		''पदनाम.................................. (कार्यालय की मुहर सहित) राज्य/संघीय क्षेत्र ....

जो लागू न हो वे शब्द काट दिये जाये।

@d`i;k jk"Vªifr ds fof'k"V vkns'k dk mYys[k djsa A

% ml ijkxzkQ dk gVk nsa tks ykxw u gks A

fVIi.kh : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्य रूप से निवासकर्ता है का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

****vuqlfpr tkfr@vuqlfpr tutkfr@vfio dk izek.k i= tkjh djus ds fy, vf/kd`r izkf/kdkfj;ksa dh lwphA**

(क) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/सब डिविजिनल मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)

(ख) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट
(ग) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ।
(घ) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य साधारणतः निवास करते है।
(ड) प्रशासक/प्रशासन के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

fVIi.kh& तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति के आवेदक **dsoy jktLo foHkkxh; vf/kdkjh }kjk** जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

<u>Hkkjr ljdkj ds v/khu inksa ij fu;qfDr ds fy, vkosnu djus okys vU; fiNM+s oxZ ls lacaf/kr vH;FkhZ }kjk iLrqr fd, tkus okys izek.k i= dk izi=</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री ,श्री..गांव/नगर..जिला/प्रभाग.................................राज्य/संघ शासित क्षेत्र...के ....समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या ....दिनांक........................ के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..और/अथवा उनका/उनके परिवार .... राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र के जिला/मंडल... में सामान्य रूप से रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 36012/22/93 स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों **¼dzheh ys;j½** से संबंधित नहीं है।

हस्ताक्षर.....................................

जिलाधिकारी/उपायुक्त इत्यादि

दिनांक.....................................

(कार्यालय की मोहर सहित)

---

*प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है।

**समय समय पर संशोधित।

fVIi.kh ½– यहां ''सामान्य शब्द'' का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

-- ljdkj
¼iek.k&i= tkjh djus okys ikf/kdkjh dk uke vkSj irk½

vkfFkZd :Ik ls detksj oxZ }kjk iLrqr fd, tkus okys vk; vkSj lEifRr dk iek.k&i=

iek.k i= la-- **fnukad-----------------------**

---o"kZ ds fy, ekU;

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ....पुत्र / पुत्री / पत्नी.. ग्राम / गली...डाकघर ....जिला..पिन कोड..................... राज्य / संघ राज्य क्षेत्र ....के स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उसके परिवार की कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष ....के लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है। उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :–

I. 5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी......................................जो..जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

vkosnd dk gky dk ikl iksVZ vkdkj dk lR;kfir QksVks

हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित........................

नाम..

पदनाम..

*** uksV** : 1. आय सभी स्त्रोंतो को कवर करती है यानि वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

****uksV** : 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता–पिता और भाई–बहन 18 वर्ष से कम आयु के साथ–साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

*****uksV** : 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है।

\# **vk; vkSj lEifRr iek.k&i= tkjh djus okys vf/kdkjh vf/kdkfj;ksa dh lwph** :–

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उप विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नही होना चाहिए और
(iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते है।

dn ;k lhus dh eki esa NwV pkgus okys vH;fFk;ksa }kjk izLrqr fd, tkus okys izek.k i= dk izk:i

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी ....पुत्र/पुत्री, श्री .... गांव/जिले के .... तहसील/तालुका.. गांव के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :–

- ❖ उपर वर्णित पूरे क्षेत्र के निवासियों को .... माना जाता है।
  (गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी)
- ❖ वह .... से संबंधित है।
  (हिंमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की घाटी, लद्दाख, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड व त्रिपुरा)
- ❖ वह ट्राईबल अथवा आदिवासी/मिजो/नागा से संबंध रखता है।

स्थान :.. हस्ताक्षर ....

दिनांकः... जिला मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

❖ 'जो लागू न हो उन्हें काट दें।'

vuqyXud & VII

¼if’peh ikfdLrkuh 'kj.kkfFk;ksa }kjk iLrqr fd, tkus okys igpku i=@tUe iek.k i=½

सरपंच / नम्बरदार / नायब तहसीलदार..का कार्यालय

फोटो

tEeq vkSj d’ehj@ynnk[k ds dSUn 'kkfLr iqu’kkZ e jgus okys if’peh ikfdLrkuh 'kj.kkfFk;ksa ds fy, igpku iek.k i=

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी / श्रीमती ....पुत्र / पुत्री, पत्नी श्री .... पूर्व में गांव..............................तहसील.......................................जिला......................................, भारत विभाजन से पूर्व (अब पाकिस्तान) के निवासी थे। वर्तमान में मकान संख्या ....गली / लेन संख्या..मोहल्ला...... ....गांव.......................तहसील...जिला.......................................में रह रहे हैं जो पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी है जो भारत–पाकिस्तान के 1947 के युद्ध पश्चात यहां विस्थापित हो गये हैं।

दिनांक :....................................

स्थान : ....

Ljip@uEcjnkj@uk;c rglhynkj